*समक्षः एमएम पुंछी, ज.*
*आयकर अधिकारी, ए. वार्ड.*- याचिकाकर्ता.
*बनाम*
राधा किशन, *-प्रतिवादी।*
1985 *का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या* 1093
27 फ़रवरी 1984

*आयकर अधिनियम (* 1961 का 43)-एसएस 276 सीसी, 292 *ए~दंड प्रक्रिया संहिता (*1974 का द्वितीय)-धार *366–अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (*1958 का 20)– *अपील में दोषसिद्धि को कोई चुनौती नहीं– परिवीक्षा के लिए सौदा–मामला वापस भेजा गया–प्रतिवादी अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दे सकता है।*

*निर्धारित किया गया* कि यदि किसी मामले में सज़ा दी जानी है, तो यह अदालत मामले को निचली अपीलीय अदालत में वापस भेजे बिना स्वयं सज़ा लगा सकती है। लेकिन यह प्ली बार्गेनिंग का मामला है। इस प्रकार मामले को समग्र रूप से वापस भेज दिया जाना चाहिए और प्रतिवादियों के लिए उसकी दोषसिद्धि को चुनौती देने का अधिकार खुला होना चाहिए। और यदि उसे रद्द कर दिया जाता है, तो कोई सजा देने का सवाल ही नहीं उठता। इन कार्यवाहियों में अपनी दोषसिद्धि को बरकरार रखना प्रतिवादी के लिए पूरी तरह से अनुचित होगा।
(पैरा 5).

सीआरपीसी की धारा 401 *के तहत याचिका, श्रीमान हरि राम. सत्र न्यायाधीश, अंबाला के दिनांक 6 मार्च,* 1985 के आदेश *के पुनरीक्षण* हेतु, जिस आदेश में *श्री सीबी जगलियन, एचसीएस, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, जगाधरी, जिला अम्बाला, के दिनांक 26 दिसम्बर,* 1983 के *आदेश को पलट था जिसमे अभियुक्त के विरूद्ध कारावास तथा जुर्माने की सजा को निरस्त करते हुए परिवीक्षा का लाभ*

*दिया गया।*

*उन्हें रुपये* 3,000 *के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है और एक वर्ष की अवधि के लिए शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए निश्चित रूप से उसे आगे निर्देशित किया जाता है कि इस अवधि के दौरान जब भी उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, वह आए और सजा प्राप्त करे। इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए आवश्यक बांड प्रस्तुत किए जाएं। अपीलकर्ता को रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। मुकदमे की लागत के रूप में* 100 रु भुगतान करने का आदेश। *पहले से भुगतान की गयी जुर्माने की राशि को इस मद में समायोजित करने* का आदेश दिया गया है.

*याचिकाकर्ताओं की ओर से* वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान, अधिवक्ता अजय कुमार मित्तल के साथ ।

*प्रतिवादी की ओर से* अधिवक्ता केके अग्रवाल ।

## आदेश

एम *एम पुंछी, जे. (मौखिक)*

(1) यह श्री हरि राम, सत्र न्यायाधीश, अर्नबाला के अपीलीय आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसे आयकर अधिकारी, ए.वार्ड, यमुनाईआगर, जिला अर्नबाला द्वारा पसंद किया गया है, चुनौती पूरी तरह से सजा के आदेश के प्रतिस्थापन से लेकर रिहाई तक ही सीमित है। उसमें बताई गई शर्तों के अनुसार आरोपी-प्रतिवादी परिवीक्षा पर है।

(2) तथ्य सरल हैं। प्रतिवादी तीन फर्मों का भागीदार था। ये फर्में वर्ष 1978-79 के लिए आयकर निर्धारण योग्य थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है, फर्मों को 31 जुलाई, 1978 से पहले अपना रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था, प्रतिवादी को भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उपरोक्त तीन फर्मों से भागीदार के रूप में प्राप्त अपनी आय का कुल विवरण दर्ज करना था। वह निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहा और इस प्रकार

वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276 सीसी के दायरे में आ गया। अभियोजन पर, प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया जिसने उसे तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और रुपये 100 का जुर्माना, और जुर्माना अदा न करने पर उसे पंद्रह दिन की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

(3) प्रतिवादी ने सत्र न्यायाधीश, अर्नबाला के समक्ष अपील दायर की, और वहां ऐसा प्रतीत होता है कि दलील सौदेबाजी की गई थी। जैसा कि निर्णय के पैरा 9 से स्पष्ट है, उक्त प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रतिवादी की दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी और सीधे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का लाभ उन तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।

और जैसा कि उसके पैरा 10 से स्पष्ट है, इस पाठ्यक्रम का आयकर अधिकारी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विरोध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुकदमेबाजी की लागत का दावा किया था। इन परिस्थितियों में विद्वान न्यायाधीश ने आदेश पारित किया।

(4) आयकर अधिकारी-याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अशोक भान, केवल प्रतिवादी को परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश के खिलाफ व्यथित हैं और आयकर अधिनियम की धारा 292 ए के बल पर कहते हैं कि या तो इस न्यायालय को चाहिए मैं सज़ा सुनाऊंगा या मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए निचली अपीलीय अदालत में वापस भेजूंगा। धारा 292 ए निम्नानुसार प्रदान करती है: -

> “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 लागू नहीं होंगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 360 या अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में शामिल कुछ भी इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम न हो।

(5) यदि सभी घटनाओं में सजा दी जानी है, तो यह न्यायालय मामले को निचली अपीलीय अदालत में वापस भेजे बिना स्वयं ही सजा दे सकता है। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, यह प्ली बार्गेनिंग का

मामला है। इस प्रकार मामले को समग्र रूप से वापस भेज दिया जाना चाहिए और प्रतिवादी को अपनी सजा को चुनौती देने के लिए खुला छोड़ना होगा। और यदि उसे रद्द कर दिया जाता है, तो कोई सजा देने का सवाल ही नहीं उठता। इन कार्यवाहियों में अपनी दोषसिद्धि को बरकरार रखना प्रतिवादी के लिए पूरी तरह से अनुचित होगा।

(6) 'इसलिए, उपरोक्त तर्क के लिए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है, सत्र न्यायाधीश, अंबाला के आदेश को समग्र रूप से रद्द कर दिया जाता है और अपील को कानून के अनुसार निपटान के लिए उनके पास वापस भेज दिया जाता है। पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 3 अप्रैल, 1989 को उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

***अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।***

***रीतिका शर्मा***
***प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी***
***(Trainee Judicial Officer)***
***करनाल, हरियाणा***